

कार्यालय जिला परिषद् (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ), बीकानेर

क्रमांक : जिप्रबी/नरेगा/ 2017-18/

दिनांक :

कार्यालय आदेश

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम 2005 के अधीन संचालित महात्मा गांधी नरेगा योजना राजस्थान के अन्तर्गत कार्य सम्पादन हेतु भारत सरकार द्वारा अनुमत प्रशासनिक व्यय के तहत निर्धारित स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार पंचायत समिति स्तर पर विकास अधिकारी एवं कार्यक्रम अधिकारी के अधीन कनिष्ठ तकनीकी सहायक के पदों हेतु इस कार्यालय द्वारा जारी विज्ञप्ति संख्या 7278 दिनांक 18.11.16 के द्वारा जिले की पंचायत समितियों में कनिष्ठ तकनीकी सहायक के पदों पर कार्मिकों की सेवाएँ अनुबन्ध (संविदा) पर लेने एवं पैनेल तैयार करने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। प्राप्त आवेदन पत्रों की छंटनी उपरान्त पात्र अभ्यर्थियों की अन्तिम वरिष्ठता सूची तैयार की गई। श्रीमान् शासन सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग जयपुर के आदेश क्रमांक एफ 10(6)ग्रावि/मनरेगा/जेटीए/2016 दिनांक 07.09.16 एवं 27.09.16 के निर्देशों की अनुपालना में वरिष्ठता सूची अनुसार अभ्यर्थियों की सेवाएँ 8000/-रूपये एक मुश्त ग्रामीण कार्य भत्ता 3000/-रूपये एवं यात्रा भत्ता 2000/-रूपये कुल रूपये 13000/-रूपये (अखरे रूपये तेरह हजार मात्र) अनुबन्ध पर लिये जाने हेतु उनका पदस्थापन उनके नाम के आगे अंकित पंचायत समिति में किया जाता है। ग्राम पंचायत में तकनीकी सहायक को एक माह में कम से कम 20 दिवस का दौरा स्वयं के वाहन से कार्य का निरीक्षण करना होगा, तभी उक्त मानेदय देय होगा।

क्र.स.	नाम अभ्यर्थी मय पिता/पति का नाम	जन्मतिथि	पता व मोबाईल नम्बर	शैक्षणिक योग्यता	आंवटित पंचायत समिति
1.	कु. रूखसार खत्री/मौ० यूसूफ खान	15.07.1994	रेल्वे गेट नम्बर 262 सी/2 इन्डस्ट्रीयल एरिया रानी बाजार, बीकानेर 8559963933 (मो.)	डिग्री इन सिविल इंजी. आरटीयू कोटा	बीकानेर
2.	श्री विपिन कुमार मीना/श्री हरीकृष्ण मीना	06.06.1985	ग्राम काचैरा पोस्ट महलौनी तहसीली बयाना जिला भरतपुर राज 9413362040 (मो.)	डिप्लोमा सिविल एण्ड आर्किटेक्चर इंजि०	खाजूवाला
3.	सीमा सिंह / शिवसिंह मीना	28.12.1991	गांव पोस्ट रूधपुरा तहसील मासलपुर जिला करौली राजस्थान 9413320585 (मो.)	डिग्री इन सिविल इंजी. आरटीयू कोटा	पांचू

चयनित अभ्यर्थी 30.06.2017 तक ऊपर अंकित, पंचायत समिति में विकास अधिकारी एवं कार्यक्रम अधिकारी को अपनी उपस्थिति देवे। दिनांक 30.06.2017 तक उपस्थिति नहीं देने की स्थिति में उनका चयन स्वतः ही निरस्त माना जावेगा तथा प्रतीक्षा सूची में से अगले अभ्यर्थी द्वारा उक्त पद को भर लिया जायेगा। अभ्यर्थी जिला परिषद् (ग्राविप्र), बीकानेर में वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ-1(04)एफडी/रूल्स/2011 पार्ट-II जयपुर दिनांक 27.06.2014 के अनुसार संविदा के आधार लिखित में 100/-रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर अनुबन्ध भर कर प्रस्तुत करेंगे तथा सम्बन्धित पंचायत समिति, में विकास अधिकारी एवं कार्यक्रम अधिकारी के अधीन अपनी सेवाएँ देगे। चयनित अभ्यर्थी की डिग्री/डिप्लोमा/कॉलेज/विश्वविद्यालय/संस्थान की वैधता के सम्बन्ध में अभ्यर्थी द्वारा दी गई जानकारी गलत पाई जाने की दशा में एवं किसी भी तरह का आपराधिक रिकॉर्ड पाये जाने की स्थिति में उनका अनुबन्ध तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा व विभाग द्वारा विधि सम्मत कार्यवाही की जाने की दशा में समस्त जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी।

है

अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक
एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद्, बीकानेर

दिनांक : 20/6/17

क्रमांक : जिप्रबी/नरेगा/ 2016-17/ 1664-1673

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत-

1. श्रीमान् जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं जिला कलक्टर बीकानेर।

2. विकास अधिकारी एवं कार्यक्रम अधिकारी पंचायत समिति

बीकानेर/कोलायत/नोखा/लूनकरनसर/खाजूवाला/श्रीडूंगरगढ़/पांचू को प्रेषित कर लेख है कि अभ्यर्थी से